

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ०ग०)

//कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक 34 /एक-11-1/2003

जगदलपुर, दिनांक 05 मई, 2025

मैं गोविन्द नारायण जांगड़े, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर, व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 21(3)(4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8(7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 04/एक-11-1/2003, दिनांक 13 फरवरी, 2024 तथा उससे संबंधित समस्त पश्चातवर्ती आदेशों को निरस्त कर राजस्व/सिविल जिला, बस्तर एवं सत्र खण्ड, जगदलपुर (बस्तर) में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य-विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ:-

क्रं.	न्यायालय का नाम	कार्यक्षेत्र	प्रकरणों के प्रकार
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर स्थान जगदलपुर एवं विशेष न्यायाधीश (एन.आई.ए.) सेन्ट्रल, जगदलपुर एवं वाणिज्य अपीलीय न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर एवं सत्र खण्ड, जगदलपुर (बस्तर) छ०ग० विशेष न्यायाधीश (एन.आई.ए.) जगदलपुर हेतु सिविल जिला बस्तर स्थान जगदलपुर, छ०ग० वाणिज्य अपीलीय न्यायालय क्षेत्राधिकार सिविल जिला बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, कोण्डागांव और उत्तर बस्तर कांकेर	1/ सत्र प्रकरण 2/ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के क्षेत्राधिकार के अधीन पारित निर्णय, दण्डादेश एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत दांडिक अपील एवं पुनरीक्षण 3/ सिविल एवं दांडिक प्रकरणों के स्थानांतरण आवेदन पत्र 4/ जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं० 5/ दं०प्र०सं० की धारा 199(2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण 6/ दं०प्र०सं० की धारा 341 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें 7/ वाद मूल्य रुपये 20,00,001/- अथवा उससे अधिक के संपत्तिक वाद 8/ मध्यस्थता निपटारा अधिनियम, 1996 (आर्बिट्रेशन एवं कॉन्सिलियेशन एक्ट 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र 9/ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, जगदलपुर के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अधीन पारित निर्णय, डिक्ली एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें 10/ लोकल एवं स्पेशल लॉ के अंतर्गत प्रस्तुत दीवानी विविध अपीलें 11/ भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण 12/ म०प्र०/छ०ग० नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 तथा नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 441 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएँ 13/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत मूल्य रुपये 20,00,000/- से अधिक के व्यवहार वाद

			<p>14/ अन्य विशेष एवं लोकल लॉ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यावहारिक प्रकरण</p> <p>15/ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत थाना- सिटी कोतवाली, बोधघाट, भानपुरी, रेल सुरक्षा बल, जगदलपुर एवं अजाक से उद्धृत समस्त दावा प्रकरण</p> <p>16/ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत संस्थित होने वाले प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण</p> <p>17/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा-24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र</p> <p>18/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रुपये 20,00,001/- अथवा उससे अधिक के प्रकरण</p> <p>19/ ऐसे व्यवहार स्वरूप के प्रकरण, जो इस कार्य-विभाजन आदेश में नहीं दर्शाये गए हैं</p> <p>20/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध एवं निष्पादन वाद प्रकरण</p> <p>21/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उद्धृत निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>22/ सिविल जिला बस्तर स्थान जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण</p> <p>23/ विशेष न्यायाधीश (NIA), जगदलपुर द्वारा निराकृत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों का पालन करना</p> <p>24/ धारा 200 दं०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत होने वाले औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 से संबंधित परिवाद प्रकरण ।</p> <p>25/ चिटफंड से संबंधित परिवाद प्रकरण ।</p> <p>26/ वाणिज्य न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश स्तर), जगदलपुर द्वारा निराकृत प्रकरणों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई करना ।</p>
02	<p>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को अतिरिक्त प्रभार- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर</p>	<p>सत्र खण्ड, जगदलपुर (बस्तर), छ०ग०</p>	<p>1/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण</p> <p>2/ पूर्व में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्धृत विविध प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>3/ विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर</p>

			<p>के न्यायालय द्वारा निराकृत दांडिक प्रकरणों से उद्धृत विविध प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>4/ जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं०</p> <p>5/ माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों का पालन करना</p>
03	<p>प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर</p> <p>एवं</p> <p>विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/विद्युत अधिनियम /एन.आई.ए.), जगदलपुर</p> <p>एवं</p> <p>वाणिज्य न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर), जगदलपुर</p>	<p>राजस्व जिला बस्तर एवं सत्र खण्ड जगदलपुर (बस्तर) छ०ग०</p> <p>वाणिज्य न्यायालय क्षेत्राधिकार सिविल जिला बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, कोण्डागांव और उत्तर बस्तर कांकेर</p>	<p>1/ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण</p> <p>2/ विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण</p> <p>3/ सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं० तथा विधिक दांडिक कार्यवाहियां</p> <p>4/ प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित आवेदन पत्र</p> <p>5/ वाद मूल्य रुपये 17,50,001/- से 20,00,000/- तक के व्यवहार वाद प्रकरण</p> <p>6/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रुपये 17,50,001/- से 20,00,000/- तक के प्रकरण</p> <p>7/ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत थाना- यातायात, नगरनार, लोहण्डीगुड़ा एवं फ्रेजरपुर (परपा) से उद्धृत समस्त दावा प्रकरण</p> <p>8/ उपर्युक्त से संबंधित निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण</p> <p>9/ प्रधान जिला न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु अंतरित व्यवहार वाद, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील तथा विविध प्रकरण</p> <p>10/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>11/ अपने न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण, सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, व्यवहार वाद व अन्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों</p>

			<p>एवं निर्णयों का पालन करना</p> <p>12/ सत्र न्यायालय, जगदलपुर के न्यायालय से अंतरित सिविल जिला जगदलपुर जिला बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण</p> <p>13/ विशेष न्यायाधीश (NIA), जगदलपुर द्वारा निराकृत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों का पालन करना</p> <p>14/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों का पालन करना ।</p> <p>15/ न्यायालय- चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर तथा चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FAC), जगदलपुर द्वारा निराकृत समस्त व्यवहार वाद, विविध व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण से उद्धृत निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेशों का पालन करना ।</p> <p>16/ वाणिज्य न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत वाद मूल्य रुपये 10,00,001/- से 50,00,000/- तक के प्रकरण (Arbitration प्रकरणों सहित)</p> <p>17/ सांसद / विधायक से संबंधित ऐसे प्रकरण, जो सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य हों, की सुनवाई एवं निराकरण करना</p>
04	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर एवं सत्र खण्ड जगदलपुर (बस्तर) छ०ग०	<p>1/ सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं० तथा विधिक दांडिक कार्यवाहियां</p> <p>2/ प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित आवेदन पत्र</p> <p>3/ प्रधान जिला न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु अंतरित व्यवहार वाद, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील तथा विविध प्रकरण</p> <p>4/ वाद मूल्य रुपये 15,00,001/- से 17,50,000/- तक के व्यवहार वाद प्रकरण</p> <p>5/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद</p>

			<p>मूल्य रुपये 15,00,001/- से 17,50,000/- तक के प्रकरण</p> <p>6/ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत थाना- करपावण्ड, बस्तर एवं बकावण्ड से उद्भूत समस्त दावा प्रकरण</p> <p>7/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार/दावा/सत्र प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>8/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत मोटर दुर्घटना दावा, व्यवहार वाद, निष्पादन, विविध वाद एवं विविध आवेदन पत्र, सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण से संबंधित आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन करना</p> <p>9/ माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना</p>
05	<p>तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर एवं विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), जगदलपुर</p>	<p>राजस्व जिला बस्तर एवं सत्र खण्ड जगदलपुर (बस्तर) छ०ग०</p>	<p>1/ सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं० तथा विधिक दांडिक कार्यवाहियां</p> <p>2/ प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित आवेदन पत्र</p> <p>3/ प्रधान जिला न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु अंतरित व्यवहार वाद, व्यवहार अपीलें, विविध अपीलें तथा विविध प्रकरण</p> <p>4/ वाद मूल्य रुपये 12,50,001/- से 15,00,000/- तक के व्यवहार वाद प्रकरण</p> <p>5/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रुपये 12,50,001/- से 15,00,000/- तक के प्रकरण</p> <p>6/ वाद मूल्य रुपये 501/- से 1000/- तक के लघु वाद, निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण, जो सिविल एक्ट की धारा - 9 के अंतर्गत निराकरण हेतु अधिकृत हैं</p> <p>7/ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत थाना- मालेवाही, कुकानार एवं दरभा से उद्भूत समस्त दावा प्रकरण</p> <p>8/ अपने न्यायालय के व्यवहार/दावा/सत्र प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना</p>

			<p>9/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत मोटर दुर्घटना दावा, व्यवहार वाद, निष्पादन, विविध वाद एवं विविध आवेदन पत्र, सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण से संबंधित आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन करना</p> <p>10/ एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण</p> <p>11/ विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट), जगदलपुर द्वारा निराकृत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों का पालन करना</p> <p>12/ माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना</p>
06	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर एवं सत्र खण्ड जगदलपुर (बस्तर), छ०ग०	<p>1/ सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले POC SO Act से संबंधित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं० विविध दांडिक कार्यवाहियां</p> <p>2/ अपने न्यायालय के सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण से संबंधित आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन करना</p> <p>3/ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बच्चों से लैंगिक अपराधों से संबंधित प्रकरणों तथा रिमाण्ड एवं अन्य समस्त कार्यों का निराकरण करना,</p> <p>4/ किशोर न्याय बोर्ड, जगदलपुर द्वारा निराकृत ऐसे प्रकरणों के अपील की सुनवाई करना, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धाराएं भी हो ।</p> <p>5/ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सहित पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं रिमाण्ड तथा अन्य समस्त कार्यों का निराकरण करना</p> <p>6/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेशों का पालन करना ।</p>
07	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर एवं सत्र खण्ड जगदलपुर (बस्तर), छ०ग०	<p>1/ सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित प्रकरणों तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं० विविध दांडिक कार्यवाहियां</p>

			<p>2/ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), जगदलपुर के न्यायालय द्वारा निराकृत सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण से संबंधित आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन करना</p> <p>3/ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत थाना- मारडूम एवं कोडेनार से उद्भूत समस्त दावा प्रकरण</p> <p>4/ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), जगदलपुर के न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार एवं दावा प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>5/ महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित प्रकरणों तथा रिमाण्ड एवं अन्य समस्त कार्यों का निराकरण करना,</p> <p>6/ किशोर न्याय बोर्ड, जगदलपुर द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निराकृत प्रकरणों के अपील की सुनवाई करना ।</p> <p>7/ जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं०</p> <p>8/ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), जगदलपुर के न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार एवं दांडिक प्रकरणों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं निर्णय का पालन करना</p>
08	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर एवं सत्र खण्ड जगदलपुर (बस्तर), छ०ग०	<p>1/ सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 दं०प्र०सं० तथा विधिक दांडिक कार्यवाहियाँ</p> <p>2/ प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित आवेदन पत्र</p> <p>3/ वाद मूल्य रुपये 10,00,001/- से 12,50,000/- तक के व्यवहार वाद प्रकरण</p> <p>4/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रुपये 10,00,001/- से 12,50,000/- तक के प्रकरण</p> <p>5/ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत थाना- बड़ांजी, बुरगुम एवं नानगुर से उद्भूत समस्त दावा प्रकरण</p>

			<p>6/ उपर्युक्त से संबंधित निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण</p> <p>7/ प्रधान जिला न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु अंतरित व्यवहार वाद, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील तथा विविध प्रकरण</p> <p>8/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>9/ अपने न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, व्यवहार वाद व अन्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों का पालन करना</p> <p>10/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों का पालन करना ।</p>
09	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	<p>1/ वाद मूल्य रुपये 8,00,001/- से 10,00,000/- तक के संपत्तिक वाद तथा मध्यस्थता एवं निपटारा अधिनियम 1996 (आर्बिट्रेशन एवं कॉन्सिलियेशन एक्ट 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र</p> <p>2/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रुपये 8,00,001/- से 10,00,000/- तक के प्रकरण</p> <p>3/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध न्यायिक एवं निष्पादन प्रकरण,</p> <p>4/ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण</p> <p>5/ विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1951 ऋण समायोजन के अंतर्गत प्रकरण</p> <p>6/ दिवालिया प्रकरण,</p> <p>7/ म०प्र०/छ०ग० नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 172 के अंतर्गत अपीलें</p> <p>8/ छ०ग० सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रुपये 401/- से 500/- तक के लघुवाद प्रकरण</p> <p>9/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए व्यवहार वाद, निष्पादन, विविध प्रकरण एवं दांडिक प्रकरण,</p> <p>10/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों तथा अंतर्वर्ती आवेदन पत्रों का निराकरण करना,</p>

			<p>11/ रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>12/ अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध की गई अपील एवं पुनरीक्षण के आदेश का क्रियान्वयन करना तथा रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>13/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना ।</p> <p>14/ सांसद / विधायक से संबंधित ऐसे प्रकरण, जो न्या०मजि०प्रथम श्रेणी के न्यायालय में सुनवाई योग्य हों, की सुनवाई एवं निराकरण करना</p>
10	<p>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर एवं वाणिज्य न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश स्तर), जगदलपुर</p>	<p>राजस्व जिला बस्तर तथा वाणिज्य न्यायालय क्षेत्राधिकार सिविल जिला बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, कोण्डागांव और उत्तर बस्तर कांकेर</p>	(रिक्त न्यायालय)
11	<p>तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर</p>	<p>राजस्व जिला बस्तर</p>	<p>1/ वाद मूल्य रुपये 6,00,001/- से 8,00,000/- तक के संपत्तिक वाद</p> <p>2/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रुपये 6,00,001/- से 8,00,000/- तक के प्रकरण</p> <p>3/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध न्यायिक एवं निष्पादन प्रकरण,</p> <p>4/ विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1951 ऋण समायोजन के अंतर्गत प्रकरण</p> <p>5/ दिवालिया प्रकरण,</p> <p>6/ म०प्र०/छ०ग० नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 172 के अंतर्गत अपीलें</p> <p>7/ छ०ग० सिविल कोर्ट एकट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रुपये 301/- से 400/- तक के लघुवाद प्रकरण</p> <p>8/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए व्यवहार वाद, निष्पादन, विविध प्रकरण एवं दांडिक प्रकरण,</p> <p>9/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के द्वारा अंतरित आपराधिक प्रकरण/रिमाण्ड कार्य करना,</p>

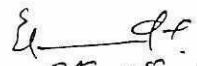
			<p>10/ अपने न्यायालय तथा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, जगदलपुर के न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों तथा अंतवर्ती आवेदन पत्रों का निराकरण करना,</p> <p>11/ रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>12/ अपने न्यायालय तथा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, जगदलपुर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध की गई अपील एवं पुनरीक्षण के आदेश का क्रियान्वयन करना तथा रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>13/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना ।</p>
12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	<p>1/ वाद मूल्य रुपये 4,00,001/- से 6,00,000/- तक के संपत्तिक वाद</p> <p>2/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वाद मूल्य रुपये 4,00,001/- से 6,00,000/- तक के प्रकरण</p> <p>3/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध न्यायिक एवं निष्पादन प्रकरण,</p> <p>4/ विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1951 ऋण समायोजन के अंतर्गत प्रकरण</p> <p>5/ दिवालिया प्रकरण,</p> <p>6/ म०प्र०/छ०ग० नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 172 के अंतर्गत अपीलें</p> <p>7/ छ०ग० सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रुपये 201/- से 300/- तक के लघुवाद प्रकरण</p> <p>8/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए व्यवहार वाद, निष्पादन, विविध प्रकरण एवं दांडिक प्रकरण,</p> <p>9/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के द्वारा अंतरित आपराधिक प्रकरण/रिमाण्ड कार्य करना,</p> <p>10/ रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>11/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना ।</p>
13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	<p>1/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध न्यायिक एवं निष्पादन प्रकरण,</p> <p>2/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए व्यवहार वाद, निष्पादन, विविध प्रकरण एवं दांडिक प्रकरण,</p> <p>3/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के द्वारा अंतरित आपराधिक प्रकरण/रिमाण्ड कार्य करना,</p>

			<p>4/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना,</p> <p>5/ अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों के आदेशों तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कृयान्वयन करना एवं रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>6/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना ।</p>
14	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	(रिक्त न्यायालय)
15	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	<p>1/ वाद मूल्य रुपये 2,00,001/- से 4,00,000/- तक के संपत्तिक वाद</p> <p>2/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रुपये 2,00,001/- से 4,00,000/- तक के प्रकरण</p> <p>3/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध न्यायिक एवं निष्पादन प्रकरण,</p> <p>4/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए व्यवहार वाद, निष्पादन, विविध प्रकरण एवं दांडिक प्रकरण,</p> <p>5/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के द्वारा अंतरित आपराधिक प्रकरण/रिमाण्ड कार्य करना,</p> <p>6/ छ०ग० सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रुपये 101/- से 200/- तक के लघुवाद प्रकरण ।</p> <p>7/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना,</p> <p>8/ अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों के आदेशों तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कृयान्वयन करना एवं रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>9/ न्यायालय द्वितीय, पंचम् एवं षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, जगदलपुर के द्वारा पूर्व में निराकृत समस्त प्रकार के प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण एवं</p>

			<p>अंतरवर्ती आवेदन-पत्रों का निराकरण करना,</p> <p>10/ उक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों के आदेशों तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कृयान्वयन करना एवं रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>11/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना ।</p>
16	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	<p>1/ वाद मूल्य रुपये 1/- से 2,00,000/- तक के संपत्तिक वाद</p> <p>2/ सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रुपये 1/- से 2,00,000/- तक के प्रकरण</p> <p>3/ छ०ग० सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत रुपये 1/- से 100/- तक के लघुवाद प्रकरण ।</p> <p>4/ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध न्यायिक एवं निष्पादन प्रकरण,</p> <p>5/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए व्यवहार वाद, निष्पादन, विविध प्रकरण एवं दांडिक प्रकरण,</p> <p>6/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के द्वारा अंतरित आपराधिक प्रकरण/रिमाण्ड कार्य करना,</p> <p>7/ अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना,</p> <p>8/ न्यायालय सप्तम् एवं अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, जगदलपुर के द्वारा पूर्व में निराकृत समस्त प्रकार के प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अंतरवर्ती आवेदन-पत्रों का निराकरण करना,</p> <p>9/ उक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों के आदेशों तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कृयान्वयन करना एवं रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>10/ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना ।</p>
17	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-	राजस्व जिला	(रिक्त न्यायालय)

	2, जगदलपुर	बस्तर	
18	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	(रिक्त न्यायालय)
19	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	(रिक्त न्यायालय)
20	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2, जगदलपुर	राजस्व जिला बस्तर	(रिक्त न्यायालय)

यह आदेश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालयों हेतु दिनांक 05-05-2025 से प्रभावशील होगा ।


 05.05.25
 (गोविन्द नारासयण जांगड़े)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 बस्तर स्थान जगदलपुर

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों तथा विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य

निम्नलिखित तालिका के स्तंभ क्रं.(2) में उल्लेखित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) के अवकाश पर रहने या अन्य कारण से अनुपस्थित रहने अथवा न्यायालय रिक्त होने के स्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य निम्न तालिकानुसार अगले क्रम के न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जायेगा:-

क्रं०	न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर
02	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को अतिरिक्त प्रभार-विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर
03	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), जगदलपुर
04	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर
05	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), जगदलपुर
06	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), जगदलपुर
07	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), जगदलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर
08	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जगदलपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर

टीप- उपरोक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी मुख्यालय में न रहने की स्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश अत्यावश्यक कार्य का संपादन करेंगे।

(गोविन्द नारायण जांगड़े)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्तर स्थान जगदलपुर

अत्यावश्यक कार्य

संपादित किया जायेगा:-

टीप- यदि कोई न्यायाधीश उपलब्ध न हो, तो अत्यावश्यक कार्य उसके अगले क्रम के न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जायेगा।

६०५.५.२५
(गोविन्द नारायण जांगड़े)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्तर स्थान जगदलपुर

लिनक न्यायिक अधिकारी के अत्यावश्यक कार्य

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/D&A/2023, बिलासपुर, दिनांक 08/11/2023, शुद्धि पत्र क्रमांक 15250/D&A/2023, बिलासपुर, दिनांक 23/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक 15520/डी० & ए०/2023, बिलासपुर, दिनांक 29/11/2023 के अनुपालन में उक्त कार्यविभाजन आदेश के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य की तालिका के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ा जाता है:-

01-उक्त कार्यविभाजन आदेश के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य की तालिका में स्तंभ क्रमांक-02 में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के लिए स्तंभ क्रमांक-03 में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिनक न्यायिक अधिकारी (Link Judicial Officer) नियुक्त किया जाता है। लिनक न्यायिक अधिकारी (Link Judicial Officer) के अवकाश/अनुपस्थित होने पर तालिका में अगले क्रम के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिनक न्यायिक अधिकारी (Link Judicial Officer) का कार्य संपादित किया जायेगा।

02- लिनक न्यायिक अधिकारी (Link Judicial Officer) द्वारा अवकाश/अनुपस्थित रहने वाले न्यायाधीश के न्यायालय में उस दिन अर्जेंट प्रकरणों के अतिरिक्त उपस्थित साक्ष्यों का साक्ष्य अभिलिखित किया जायेगा और यदि संभव न हो तो उस साक्षी को लोक सेवक न होने की दशा में पाबंद कर अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से तीन दिवस से अधिक की तिथि उस प्रकरण में नहीं दी जायेगी।

03- लिनक न्यायिक अधिकारी (Link Judicial Officer) द्वारा अवकाश/अनुपस्थित रहने वाले न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित समस्त व्यवहार एवं दांडिक प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी और यदि संभव न हो तो अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से तीन दिवस से अधिक की तिथि उस प्रकरण में नहीं दी जायेगी। ऐसे प्रकरणों में किसी भी दशा में संबंधित न्यायालय के प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नहीं दिया जायेगा।

04-पीठासीन अधिकारी के दीर्घावकाश (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश) पर होने की दशा में उनके न्यायालय में लंबित एक्शन प्लान के प्रकरणों यथा पांच वर्षों से अधिक अवधि से लंबित सिविल, क्रिमिनल एवं निष्पादन प्रकरण तथा एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों की सुनवाई अन्य पीठासीन अधिकारी/नियुक्त Link Judicial Officer द्वारा किया जायेगा।

१५-०५-२५
(गोविन्द नाथसिंह जांगड़े)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्तर स्थान जगदलपुर

यथा आदेश प्रतिलिपि:-

- (1) प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर
 - (2) जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०एस०सी०) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर,
 - (3) जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), जगदलपुर
 - (4) प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जगदलपुर
 - (5) प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, जगदलपुर
 - (6) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जगदलपुर
 - (7) प्रथम/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, जगदलपुर
 - (8) प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर
 - (9) प्रस्तुतकार, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर
 - (10) प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर
 - (11) रजिस्ट्रार, केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर
 - (12) अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जगदलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- (13) सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर की ओर जिला न्यायालय, जगदलपुर के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित ।


प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बस्तर स्थान जगदलपुर